भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2746
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत परियोजनाएं

2746. श्री काली चरण मुंडाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में खूंटी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई अनुदान की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा;
(ख) उक्त राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत झारखंड में खूंटी के किसानों सहित लाभान्वित किसानों की संख्या; और
(ग) राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा झारखंड में चल रही एवं प्रक्रियाधीन कार्यक्रमों का ब्यौरा?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड झारखंड सहित देश में आय एवं रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) की केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को मांग आधारित परियोजना सहायता प्रदान की जाती है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र सहित झारखंड राज्य में 896.84 लाख रुपये वाली 12 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। इन 12 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं (228.50 लाख रुपये की) पूरी हो चुकी हैं, जिनमें खूंटी लोकसभा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं (50.90 लाख रुपये की) शामिल हैं, तथा 8 परियोजनाएं (668.34 लाख रुपये की) कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनमें खूंटी लोकसभा क्षेत्र की 6 परियोजनाएं (443.93 लाख रुपये की) शामिल हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित कृषोन्नति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को झारखंड सहित 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य, बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास करना है, जिसमें उत्पादकों (किसानों), प्राथमिक प्रसंस्करणकर्ताओं और कारीगरों को उद्योग से जोड़ना शामिल है। इस श्रृंखला में रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रहण, एकत्रीकरण और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कौशल विकास और ब्रांड निर्माण जैसी पहल शामिल हैं। यह योजना उन राज्यों में गैर-वन सरकारी भूमि तथा निजी किसानों के खेतों में लागू की गई है, जहां बांस का सामाजिक, वाणिज्यिक तथा आर्थिक उपयोग होना है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र सहित झारखंड के सभी जिले एनबीएम के अंतर्गत आते हैं। एनबीएम को वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक कार्यान्वित करने के लिए झारखंड राज्य को 2064.00 लाख रुपये (केंद्रीय हिस्सा) आवंटित किए गए हैं।
